15872 14085

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

102393

RAVISHAILENDRA PRASAD
ADVOCATE
CIVIL & HIGHCOURT E.No. 1312/02

यह विक्रय पत्र (Sale Deed) आज दिनांक 30 जुलाई 2012 को इस प्रकार सम्पन्न होता है।

लेख्यकारीगण का नाम एवं पता :– 1) राम उरांव, पिता स्व0 बाघु उरांव, वो 2) बन्धन उरांव, वो 3) मंगा उरांव, दोनों के पिता स्व0 दशा उरांव, वो 4) बाहा उरांव, पिता स्व0 बाघु उरांव, वो 5) सोहराई उरांव, पिता स्व0 हुसना उरांव, सभी जाति उरांव, पेशा खेतीबारी, निवासी ग्राम पीपरटोली, अरगोड़ा, थाना अरगोड़ा, जिला राँची, राज्य झारखण्ड।

भारतीय नागरिकविक्रेतागण।

प्राप्त पशुपालन वो भूमि चौटाला की सूची में वर्णित प्लॉट दर्ज नहीं मिला



झारखण्ड JHARKHAND

102460

2/19

लेख्यधारी का नाम एवं पता :– श्रीमती मुक्ति कच्छप, पिता स्व0 सुधांशु कच्छप, जाति उरांव, पेशा व्यवसाय, निवासी ग्राम पीपरटोली अरगोड़ा, थाना अरगोड़ा, जिला राँची, राज्य झारखण्ड।

(PAN- AJMPK 8012F)

भारतीय नागरिकक्रेता

लेख्य प्रकार :– विक्रय पत्र (Sale Deed) आज दिनांक से सदैव के लिए। जिसका वार्षिक मालगुजारी 0.50 पैसे अलावे शेष इत्यादि। जिसकी बिक्री मंजूरी वो तालिका हस्ताक्षर दिनांक 25.02.2009 को सक्षम न्यायालय से दफा 46 छोटानागपुर काश्तकारी

L.T.I. of Soheni Oraon

L.T.I. of Bahadur

Ho 32a

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

102461

3/19

अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति वाद संख्या 1703आर8II/07–08 आवेदकगण राम उरांव वगैरह बनाम झारखण्ड सरकार के तहद आदेश प्राप्त करके।

लेख्य मूल्य :– 43,10,000/– (तैंतालीस लाख दस हजार) रूपया मात्र।

नाम जमीन्दार :– झारखण्ड सरकार बजरिये अंचल पदाधिकारी शहर अंचल, राँची।

लेख्य सम्पति का विवरण :– मवाजी 10 (दस) कट्ठा या 16.52 (सोलह दशमलव पांच दो) डिसमिल कमोवेस जमीन हकियत

4

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

102401

4/19

कायमी, खतियानी जो ग्राम अरगोड़ा, थाना अरगोड़ा, थाना नं0 207, जिला राँची, में अवस्थित है जिसपर लेख्यकारीगण (स्वामीगण) शान्तिपूर्ण दखलकार चले आ रहे हैं, जो अवर निबंधन पदाधिकारी, राँची सह जिला निबंधक, राँची के अन्तर्गत हैं जो अन्दर

आर.एस.खाता नं0	प्लॉट नं0	सब प्लॉट नं0	बिक्री रकबा
134	92	92/बी.	10 कट्ठा (16.52 डी0 कमोबेस)

रकबा दस कट्ठा या सोलह दशमलव पांच दो डिसमिल कमोवेस अपने हक वो हिस्से की खतियानी भूमि को लेख्यकारीगण दफा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करके लेख्यधारी के हाथों बिक्री देते हैं।

L.T.I. of Sohan Oraon

L.T.I. of Baheorao

5

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

102407

519

L.T.I. of Rahman

जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है :–

उत्तर :– आर.एस. प्लॉट नं0 90 का भाग

दक्षिण :– आर.एस. प्लॉट नं0 95 का भाग

पूरब :– सब प्लॉट नं0 92/ए.

पश्चिम :– सब प्लॉट नं0 92/सी.

L.T.I. of Sahran

विदित हो कि दस्तावेज के साथ नक्शा संलग्न है जो अरगोड़ा से कटहल मोड़ रोड़ मुख्य पथ से 400 फीट की दूरी पर स्थित है। जिसपर विक्रय भूमि को लाल रंग से रंगकर दर्शाया गया है, जिसपर सब प्लॉट संख्या 92/बी. अंकित है, जो इस दस्तावेज का अभिन्न अंग है।

L.T.I. of Balaraman

मंगा उर्वं

वृन्दावन रवि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

102408

विदित हो कि बिक्रय वाली भूमि शहरी क्षेत्र में पड़ता है इसलिए दफा–26 शहरी भू–हदबन्दी के अन्तर्गत परमिशन की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए सक्षम न्यायालय में जिसका वाद संख्या– 187/09 जो दिनांक 10.02.2009 को स्वीकृति हेतु आवेदन दिया गया, जिसकी अवधि साठ दिन बीत चुकी है और कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः यह परमीशन स्वतः मान्य माना जायेगा। वर्तमान में झारखण्ड सरकार द्वारा भूमि हदबंदी कानून को अधिसूचना द्वारा समाप्त कर दिया गया।

विदित हो कि विक्रय भूमि रिविजनल सर्वे खतियान में बाघु उरांव एवं शहनाई उरांव के नाम से कायमी दर्ज है। खतियानी रैयतों में आपसी बंटवारा में विक्रय वाली भूमि बाघु उरांव के हिस्से



05AA 177062

में मिला, जो खतियान में बकब्जे बाघु उरांव दर्ज है। लेख्यकारीगण 1) राम उरांव, पिता स्व0 बाघु उरांव, वो 2) बंधन उरांव, वो 3) मंगा उरांव दोनों के पिता स्व0 दशा उरांव, वो 4) बाहा उरांव, पिता स्व0 बाघु उरांव, वो 5) सोहराई उरांव, पिता स्व0 हुसना उरांव, सभी जाति उरांव, पेशा खेतीबारी, निवासी ग्राम प्रीमरटोली, अरगोड़ा, थाना अरगोड़ा, जिला राँची खतियानी रैयत के वंशज हैं, एवं उपरोक्त वर्णित भूमि को उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त किये हैं जिसके आधार पर लेख्यकारीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज वो दखलकार चले आ रहे हैं और अपने–अपने हिस्से की भूमि को सम्मिलात रूप से मिलकर लेख्यधारी के हाथों दफा–46 के अन्तर्गत परमीशन लेकर बिक्री करते हैं जो सही एवं न्यायोचित है।

L.T.I. of Somra Oraon

L.T.I. of Bahra Oraon

8

मंगा उरांव

बन्धन उरांव



05AA 177063

(4/19)

संदर्भ

चूँकि मुझ लेख्यकारीगण को इस समय रूपये की अति आवश्यकता घर बनाने अन्य जरूरी कार्य के लिए आ पड़ी है और उपर्युक्त भूमि बिक्री के सिवाय रूपये इन्तजाम का कोई भिन्न उपाय नहीं हो सका।

अतः उपर्युक्त भूमि 43,10,000/— (तैतालीस लाख दस हजार) रूपया मात्र में लेख्यधारी को खरीदने के लिए कहे, जिसपर उन्होंने उपरोक्त मूल्य पर भूमि खरीदने की अपनी सहमति प्रदान की।

अतः अब हम लेख्यकारीगण अपनी तन मन की स्वस्थ्यता में अपनी हानि लाभ की पूर्ण जानकारी के साथ सोच

9



झारखण्ड JHARKHAND

212675

9/19

समझ कर उपर्युक्त वर्णित भूमि को बाजार मूल्य 43,10,000/– (तैतालीस लाख दस हजार) रूपया मात्र में बिक्री किया एवं अपना पूर्ण स्वत्व, अधिकार एवं दखल लेख्यधारी को हस्तान्तरित किये। यह विक्रय पत्र लेख्यकारीगण एवं लेख्यधारी के कहे एवं दिये विवरण के अनुसार तैयार किया। लेख्यकारीगण एवं लेख्यधारी दोनों आपस में क्रेता एवं बिक्रेता के रूप में परिचित हैं।

यह कि लेख्यधारी उक्त विक्रय भूमि पर अपना पूर्ण स्वत्व, दखल एवं अधिकार लेख्यकारीगण से प्राप्त करके जैसा चाहें अमल को इन्तजाम में लावें एवं अपनी इच्छानुसार मकान बनावें एवं कूप निर्माण करावें, घेरा करावें अथवा जैसा अपना मन पसन्द समझे अमल का इन्तजाम में लावें।

L.T.I. of Sohan Oraon

L.T.I. of Baha Oraon

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

212676

10/19

अब लेख्यधारी को यह भी हक प्राप्त हो गया कि वे झारखण्ड राज्य राजस्व कर संग्रह कार्यालय, शहर अंचल, जिला रांची में लेख्यधारी अपना नाम नामांकित कराकर राजस्व कर अदा करके मौजूद खास अपने नाम से लिया करें। अब जिस प्रकार का स्वत्व, अधिकार एवं दखल आज तक उक्त बिक्रय भूमि पर मुझ लेख्यकारीगण एवं हमारे उत्तराधिकारीगण को है या भविष्य में होता सो सब बिल्कुल स्वत्व, अधिकार एवं दखल हम से विलग होकर उक्त लेख्यधारी एवं उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ और भविष्य में भी होगा।

लेख्यकारीगण यी भी प्रतिज्ञा करते हैं कि उक्त विक्रय भूमि में हमारा निर्विवाद स्वत्व, अधिकार एवं दखल कब्जा है और भूमि ऋण भार इत्यादि से मुक्त है। तथापि यदि बिक्रय पत्र

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

B 537423

निष्पादित होने के उपरान्त आज दिनांक से पूर्व किसी प्रकार का कोई त्रुटि अथवा ऋण भार इत्यादि निकले तो उसकी देनदार तथा जवाबदेह लेख्यकारीगण तथा उनके उत्तराधिकारीगण हैं और होंगे तथा देंगे।

अतः मोबलिग 43,10,000/– (तैतालीस लाख दस हजार) रूपया मात्र पाकर यह केवाला विक्रय पत्र लेख्यधारी के पक्ष में लिख दिया और लेख्यधारी से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन खतियान के अनुसार सरकारी जमीन नहीं है न ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक कार्यों के लिए किया गया है न ही भूदान की जमीन है। यह वन सीमा से बाहर है तथा बी.सी.सी.एल. या ई.सी.एल. पशुपालन घोटाला, भूमि घोटाला,



झारखण्ड JHARKHAND

B 537422

गैरमजरूआ, बंधक, सरना, मसना, हड़गड़ी, पहनई संस्था की जमीन नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह भूमि आदिवासी खाते की है और आदिवासी से संबंधित है, जिसकी बिक्री अनुमति सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर की जा रही है। जमीन सिलिंग से मुक्त है। जमीन मठ, मंदिर, गिरजा या मस्जिद की नहीं है।

लेख्यकारीगण वो लेख्यधारी उक्त मजमून पढकर वो पढवाकर समझ गए बोले कि ठीक है और अपना अंगूठा वो अंगूलियों के निशान, हस्ताक्षर गवाहों एवं अपने पहचानकर्ता के समक्ष लगाए और यह बिक्री केवाला कर राँची निबंधन कार्यालय, रांची में निबंधित कर दिये ताकि समय पर काम आवे।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

B 537421

आज दिनांक 30 जुलाई 2012 ई0, स्थान रांची।

गवाहों का हस्ताक्षर :- लेख्यकारीगण का हस्ताक्षर

1. उनी न बोक पिता सोहराई बेक

ग्राम पर टोली अरगोड़ा

थाना - अरगोड़ा रांची

बिरसा - [illegible]

2. पंकु उराँव स्व सुन्दरा उराँव

पिपर टोली अरगोड़ा

थाना - अरगोड़ा

रांची

L.T.I. of Sohrai Oraon

ड्राफ्टकर्ता :- Rajshekhar Mahapatra Advocate

टंकक :- E.no 1312/02

L.T.I. of Baha Oraon

14

मंगा उराँव

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखंड JHARKHAND

B 537420

14/19

क्रेता का फोटो एवं बाएँ हाथ के
अंगुलियों का निशान एवं हस्ताक्षर



Mukti Kachhap

RA PRASAD
NTE
E.No. 1312/02

				
अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

प्रमाणित किया जाता है कि दस्तावेज में प्रत्येक व्यक्तियों का छायाचित्र एवं बायें हाथ का पांचो अंगुलियों का निशान मेरे द्वारा मेरे समक्ष लिया गया है।

15

Ray Shekhar Prasad
Advocate
E.No 1312/02







L.T.I. of Bahadur Oraon

NCEF-2016

VILLAGE ARGORA

THANA - ARGORA

THANA NO. 207

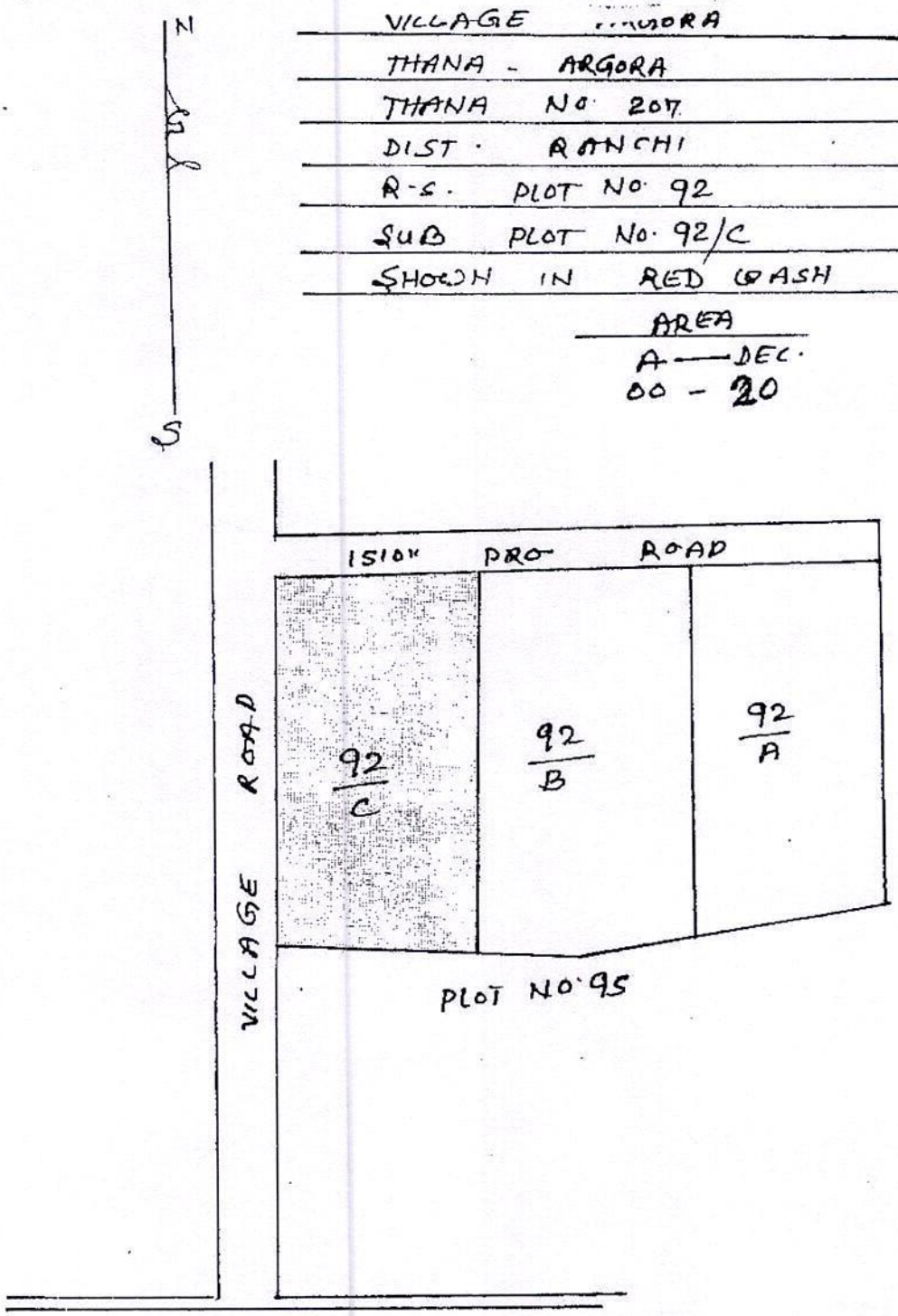
DIST. RANCHI

R.S. PLOT NO. 92

SUB PLOT NO. 92/C

SHOWN IN RED WASH

AREA
A — DEC.
00 - 20



No. 5801 Date 27/12/2012

Non Judicial Stamp worth Rs. 172400/-

Sold by Mukti Kachhap

a/c the State Bank of India 25000x6 + 10000x2 + 100x4

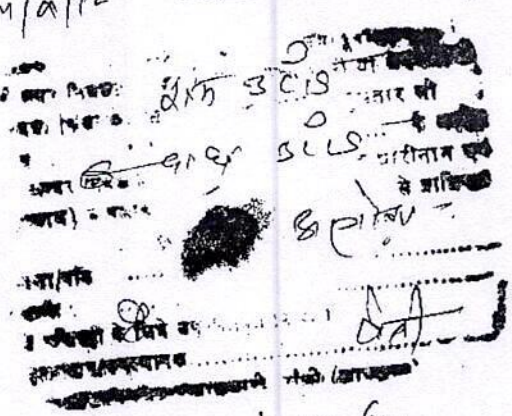
Ranchi Treasury, Ranchi



Photo Dipti PRASAD
R.S. ADATE
Token No. 1312/02

27-10-12





27/12/12